न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सख्या 40/2018 अनवान बगडू के का0मु0 व अन्य बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बावडी वगैरा

दिनांक 06.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बावडी(जोधपुर) द्वारा अतर्गत धारा 131, 132 व 136 के तहत पारित आदेश कमाक राजस्व/2017/809 दिनाक 29.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित मे स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलाट्स एवं रेस्पो0स0 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पो0स0 4 से 7 के अधिवक्ता उपस्थित, शेष अनुपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलाट्स का मुख्यत: यह कथन है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील बावडी के ग्राम खिन्दाकौर के खसरा न0 87/2, 87/3, 87/4, 87/5 की कुल रकबा भूमि मे से 02.15 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। खसरा न0 87/2, 87/3, 87/4 की भूमि अपीलाट्स एव रेस्पो0स0 4 से 7 की कब्जा काश्त एव खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमे आवागमन हेतु किसी प्रकार का रास्ता चालू नही है और न ही किसी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाट्स एव अन्य खातेदारो को नोटिस एव सुनवाई का अवसर नही दिया और न ही प्रकरण मे कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई। उक्त प्रस्ताव तहसीलदार बावडी द्वारा दिनांक 28.12.17 को प्रेषित किया तथा दिनांक 29.12.17 को तहसीलदार बावडी द्वारा ही, जिनके पास उपखण्ड अधिकारी बावड़ी का भी चार्ज था, बहसैरियत उपखण्ड अधिकारी एकतरफा आदेश पारित कर दिया, जबकि स्वय आवेदनकर्ता तहसीलदार को उक्त आदेश करने का कोई अधिकार नही था। उक्त आदेश बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये, बिना संबंधित खातेदारो की सुनवाई एवं बिना विधिक तथ्यों की जांच किए जल्दबादी में विधिविरूद्ध पारित कर दिया गया। अत: अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में मुख्यत: यह कथन किया कि उक्त आवेदन 'रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016' के तहत सरपच ग्रा0प0 खिन्दाकौर के प्रस्ताव दिनांक 2.6.17 एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर मौके पर चालू कदीमी रास्ते के संबंध में प्रेषित किया गया। जिसमें तहसीलदार बावडी द्वारा बहैसियत उपखण्ड अधिकारी वर्ष 2017 में न्यायहित मे आदेश पारित किया गया है। अत: अपील खारीज फरमाने का आग्रह किया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड पर का अवलोकन व मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सबधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उनकी सहमती ली गई। स्वय आवेदक–तहसीलदार बावडी द्वारा ही बहैसियत उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश पारित कर दिया गया, जो एकतरफा आदेश की श्रेणी मे है, जिसे न्यायहित मे विधिसम्मत नही कहा जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाट्स आशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमाक: राजस्व/2017/809 दिनाक 29.12.2017 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी बावडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाट एव सभी सबधित खातेदारो को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति मे मौका निरीक्षण एव मौका फर्द तैयार करवाकर, मौके पर यदि रास्ता चालू है तो उसे बद किये बिना, उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुन: नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज दिनाक 06.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

06.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त, जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर